इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 431] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर 2011—आश्विन 1, शक 1933

गृह विभाग (सी-अनुभाग)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2011

क्र. एफ. 31-207-2011-दो-सी-1.—स्वापक ओषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को विशेष रूप से अधिकृत करती है कि यदि किसी व्यक्ति (जिसमें कोई विदेशी भी सम्मिलित है) के संबंध में उसका यह समाधान हो गया है कि उसे स्वापक ओषधि और मन: प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार में लगने से रोकने की दृष्टि से ऐसा किया जाना आवश्यक है, तो वह यह निदेश देने वाला कोई आदेश कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति को निरूद्ध किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आलोक रंजन, सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2011

क्र. एफ. 31-207-2011-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश, दिनांक 23 सितम्बर, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आलोक रंजन, सचिव.

Bhopal, the 23rd September, 2011

No. F. 31-207-2011-II-C-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (No. 46 of 1988), the State Government hereby specially empowers the Secretary to Government of Madhya Pradesh, Home Department, that if he is satisfied, with respect to any person (including a foreigner) that, with a view to preventing him from engaging in illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, it is necessary so to do, he may make an order directing that such person be detained.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ALOK RANJAN, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.